



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या का प्रयत्न करने वाले अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹5,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 1781/2009 धारा- 308/504/506 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जयहिन्द पुत्र किशोरीलाल निवासी ग्राम औंता थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹5,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री राजेश
कुमार तिवारी



विवेचक-
उ0नि0 बलवीर सिंह



पैरोकार- थाना राठ
का0 प्रदीप भार्गव